

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़, दुर्ग/  
तक्र. 114-009/2003/20-01 03.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2007—कार्तिक 9, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2007

अधिसूचना

क्र. 9338/डी-4104/21-ब/छ. ग./07.—कुटुम्ब न्यायालय नियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—
  - (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 है.
  - (दो) ये सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे.
  - (तीन) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) ;
- (ख) “कुटुम्ब न्यायालय” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित न्यायालय ;
- (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;
- (घ) “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ;
- (ङ) “न्यायाधीश” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश और इसमें कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश भी सम्मिलित है ;
- (च) ऐसे अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं.
3. **कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा शर्तें** :—
- (1) कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि उस अवधि के लिए होगी जिसके लिए वह उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित है अथवा अनुसंगिक सेवा नियम के अधीन सेवानिवृत्त तक जो भी पहले हो.
- (2) कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा.
- (3) कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश, यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ते सहित उसी वेतन तथा भत्तों का हकदार होगा, जैसा कि ऐसे जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय है, जो अतिकाल वेतनमान प्राप्त कर रहा है.
- (4) किसी न्यायालय के न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश या अपर प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा का कोई सेवारत सदस्य, अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर, सेवानिवृत्त पर, ऐसे न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवावधि के दौरान पेंशन, यदि कोई हो, कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जो उसने अंत में प्राप्त किये थे.
4. **समाज कल्याण अभिकरणों का सहयोजन** :—
- (1) कुटुम्ब न्यायालय का प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश उसके साथ सहयोजन के लिए उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के परामर्श से उसके क्षेत्र के संबंध में एक रजिस्टर या रजिस्ट्रों को संधारित करेगा तथा अभिलेख जिनमें उसके नाम अभिलिखित होंगे :—
- (एक) कुटुम्ब, विवाह विषयक तथा सम्बद्ध विषयों में समाज कल्याण में लगी हुई संस्थायें तथा संगठन और उनके प्रतिनिधि ;
- (दो) कुटुम्बों के कल्याण की अभिवृद्धि में वृत्तिक तौर पर जुड़े हुये व्यक्ति ; और
- (तीन) समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति.
- (2) उपनियम (1) के अध्यधीन रहते हुए कुटुम्ब न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, ऐसे नामों को यथास्थिति संस्था, संगठन या व्यक्ति की लिखित सम्मति प्राप्त करने के पश्चात् स्वप्रेरणा से या उसके आवेदन पर अभिलिखित कर सकेगा.
5. **परामर्श केन्द्र** :—
- (1) कुटुम्ब न्यायालय से संबद्ध एक परामर्श केन्द्र होगा जो कुटुम्ब न्यायालय परामर्श केन्द्र के रूप में जाना जायेगा.
- (2) परामर्श केन्द्र, कुटुम्ब न्यायालय के परिसर में या ऐसे अन्य स्थानों पर होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे.

6. **परामर्शदाता की नियुक्ति :—** परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा तैयार किये गये तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित परामर्शदाताओं के पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे.

परंतु किसी भी परामर्शदाता को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् निरंतर नहीं रखा जायेगा.

7. **परामर्शदाता की संख्या :—**

- (1) प्रत्येक परामर्श केन्द्र में, परामर्शदाताओं की संख्या और प्रवर्ग ऐसे होंगे, जो सरकार द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से अवधारित किये जाएं.
- (2) जहां किसी परामर्श केन्द्र में एक से अधिक परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं, वहां उनमें से एक को उच्च न्यायालय द्वारा प्रधान परामर्शदाता के रूप में पदाविहित किया जा सकेगा.

8. **परामर्शदाता के लिये अर्हता :—**

- (1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक विषय के रूप में समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) हो और विशेषतः समाज कार्य, बाल मनोविज्ञान या कुटुम्ब संबंधी परामर्श से न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :—

परंतु शैक्षणिक अर्हताएं/न्यूनतम अनुभव में, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार अपवादित परिस्थितियों में छूट दी जा सकेगी :—

परंतु यह और कि अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी :

परंतु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और वह 60 वर्ष की आयु से कम का हो.

(2) किसी व्यक्ति को, जो एक कुटुम्ब संबंधी विषय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि वह एक कुटुम्ब संबंधी विषय में परामर्श का अनुभव रखता हो, अन्य बातें समान होने पर नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी.

- (ख) कुटुम्ब संबंधी विषयों में परामर्श का अनुभव रखता हो, अन्य बातें समान होने पर नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी.

9. **परामर्शदाता को मानदेय/शुल्क का भुगतान :—**

- (1) परामर्शदाता के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञेय मानदेय या शुल्क ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए.
- (2) परामर्शदाता, सुलह के लिये प्रति मामला प्रति बैठक रु. 200/- (दो सौ रुपये) की न्यूनतम दर से मानदेय या फीस का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे, प्रत्येक मामले के लिए निर्बन्धित चार से अधिक संख्या में बैठक नहीं होना चाहिए. किसी भी मामले में परामर्शदाता का कुल मानदेय या फीस रुपये 600 (छै सौ रुपये) प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी.

10. **परामर्शदाता के कृत्य :—**

- (1) परामर्शदाता जिसे कि कोई याचिका (पिटीशन) सौंपी जाए :—

(एक) कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जब भी अपेक्षा की जाए, न्यायालय में उपस्थित होगा :

(दो) विवाद की विषयवस्तु या उसके किसी भाग का निपटारा करने के संबंध में पक्षकारों को सहायता और सलाह देगा ;

(तीन) सुलह कराने में पक्षकारों की मदद करेगा ;

(चार) न्यायालय द्वारा नियत समय पर यथास्थिति रिपोर्ट या अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(पांच) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो कुटुम्ब न्यायालय द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाएं :

- (2) उपनियम (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में परामर्शदाता का मार्गदर्शन ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा होगा, जो कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

11. कुटुम्ब न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें :—

- (1) कुटुम्ब न्यायालय के कर्मचारियों की अर्हताएं, भर्ती के प्रक्रिया, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें वही होगी, जो जिला न्यायाधीश के नियंत्रण के अधीन न्यायालयों में समान प्रवर्ग के कर्मचारियों की है और उनसे संबंधित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (2) संबंधित कुटुम्ब न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, नियुक्ति प्राधिकारी और विभागाध्यक्ष भी होगा।

12. चिकित्सा विशेषज्ञों, कल्याण विशेषज्ञों की सहायता :—

- (1) जहां कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट किसी विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने का विनिश्चय करता है, वहां न्यायालय निश्चित बिन्दु या बिन्दुओं को, जिन पर और जिस रीति से अपेक्षित सेवा दी जानी है, उपदर्शित करेगा।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति सेवा देगा और अपनी रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर, जो कुटुम्ब न्यायालय के आदेश में उपदर्शित किया जाए या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा दिया जाए, प्रस्तुत करेगा।
- (3) कुटुम्ब न्यायालय पक्षकारों को ऐसी रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देगा।
- (4) न्यायालय, विवाद का विनिश्चय करने में रिपोर्ट पर विचार करेगा, किंतु उससे बाध्य नहीं होगा।

13. चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञों को देय यात्रा तथा अन्य व्यय :— जहां कुटुम्ब न्यायालय की गाय में अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट किसी विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति की सहायता आवश्यक है किंतु पक्षकार जो ऐसी सहायता चाहता है, के पास उसकी फीस तथा यात्रा एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने के साधन नहीं हैं तो न्यायालय स्वयंभरगत्तः या पक्षकार के आवेदन पर राज्य के राजस्व में से ऐसी फीस और व्ययों का भुगतान करने का निर्देश दे सकेगा, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है :—

(1)

(2)

(क) यदि विशेषज्ञ शासकीय सेवक है।

ऐसी दरों पर यात्रा व्यय, जो राज्य सरकार की सेवा में उसे अनुज्ञेय है।

(ख) यदि विशेषज्ञ शासकीय सेवक नहीं है।

ऐसी दरों पर यात्रा व्यय, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय है और फीस के रूप में रु. 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन।

14. न्याय मित्र :—

- (1) कुटुम्ब न्यायालय, विधिक विशेषज्ञों का, जिसमें विधि व्यवसायी सम्मिलित है, जो न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किये जाने के इच्छुक हो, एक पैनल संधारित करेगा।
- (2) जहां कुटुम्ब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि न्याय मित्र के रूप में एक विधिक विशेषज्ञ की सहायता न्याय हित में आवश्यक है तो न्यायालय उक्त पैनल में से एक विधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त न्याय मित्र को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पांच सौ रुपये प्रति मामला या कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यवाही की दर पर जो रु. 5000/- (पांच हजार रुपये) से अनाधिक होगी, फीस एवं व्ययों का भुगतान राज्य के राजस्व में से किया जा सकेगा।

(4) कुटुम्ब न्यायालय, किसी भी समय में न्याय मित्र को न्यायहित में, जब आवश्यक समझे हटा सकेगी.

15. परामर्शदाता की नियुक्ति की समाप्ति :— किसी परामर्शदाता की नियुक्ति उसकी अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय, राज्य शासन द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश की अनुशंसा पर समाप्त की जा सकेगी.

Raipur, the 30th October 2007

### NOTIFICATION

No. 9338/D-4104/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government of Chhattisgarh after consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following rules, namely :—

### RULES

#### 1. Short title, extent and Commencement :—

- (i) These rules may be called "The Chhattisgarh Family Courts Rules, 2007".
- (ii) They shall extent to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Chhattisgarh Gazette".

#### 2. Definition :—In these rules unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984) ;
- (b) "Family Court" means the Court established under Section 3 of the said Act ;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(d) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh ;

(e) "Judge" means the Judge appointed under sub-section (1) of Section 4 of the Act and includes a Principal Judge or Additional Principal Judge of the Family Court ;

(f) All other words and expressions not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

#### 3. Service Conditions of the Judge of Family Court :—

- (1) The term of the office of the Judge of Family Court shall be the term for which he is recommended for appointment by High Court or till his retirement from service under the relevant service rules, whichever is earlier.
- (2) The Judge of a Family Court shall be under the administrative and disciplinary control of the High Court.
- (3) A Judge of a Family Court shall be entitled to pay and allowances including travelling allowances, dearness allowance as admissible to a District Judge, who is drawing Super Time pay scale.
- (4) A serving member of the Chhattisgarh Judicial Service appointed as a Judge or Principal Judge or Additional Principal Judge of a Court being superannuated on attaining the age of superannuation during his tenure as such Judge shall receive pay and allowances which he last drawn minus pension, if any.

#### 4. Association of Social Welfare Agencies :—

- (1) Every Principal Judge of the Family Court shall for the association with it, in consultation with the High Court and State Government maintain in respect of its area a register, or registers and records

therein the name of :—

- (i) institutions and organizations engaged in Social Welfare, Family, matrimonial and allied matters and the representatives thereof ;
- (ii) persons professionally engaged in promoting the welfare of families; and
- (iii) persons working in the field of social welfare.

(2) Subject to sub-rule (1), the Principal Judge of the Family Court may record such names after obtaining the written consent of the institution, organization or person, as the case may be, on its own motion or on its/his application.

**5. Counselling Centre :—**

- (1) There shall be a Counselling Centre attached to the Family Court to be known as Family Court Counselling Centre.
- (2) The Counselling Centre shall be located in the Family Court premises or at such other places as the High Court may direct.

**6. Appointment of Counsellors :—**The Counsellors shall be appointed by the State Government from the Panel of Counsellors prepared by the Principal Judge of the Family Court and approved by the High Court.

Provided that no Counsellor shall continue after he attains the age of 65 years.

**7. Number of Counsellors :—**

- (1) The number and categories of Counsellor in each Counselling Centre shall be such as may be determined by the Government in consultation with the High Court from time to time.
- (2) Where more than one Counsellors are appointed in Counselling Centre, one of them may be designated as Principal Counsellor by the High Court.

**8. Qualification for Counsellor :—**

- (1) Any person having a degree of a recognized University preferably with Social Science or Psychology as one of the subjects, or minimum experience of two years in social work, child psychiatry or family Counselling shall be eligible for appointment as a Counsellor.

Provided that the minimum academic qualification/minimum experience may be relaxed in exceptional circumstances by the State Government in consultation with the High Court.

Provided that preference may be given to women having equal requisite qualifications:

Provided further that a person shall not be eligible for appointment on the post of Counsellor unless he has attained the age of 35 years and is below 60 years of age :

- (2) A Candidate who;—
  - (a) has been a judge; or
  - (b) has experience of Counselling in family matters shall other things being equal, be given preference in the matter of appointment.

**9. Payment of Honorarium/fee to Counsellors :—**

- (1) The Honorarium or fee admissible to persons employed as Counsellors shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
- (2) The Counsellors shall be entitled to the payment of Honorarium or fee at the minimum rate of Rs. 200/- (Rupees Two hundred) per case per sitting for reconciliation. The number of sittings restricted for each case should not be more than four. In any case, the total Honorarium or fee of a Counsellor shall not exceed Rs. 600/- (Rupees Six hundred) per day.

**10. Function of Counsellor :—**

- (1) The Counsellor, entrusted with any petition shall—
- (i) attend the Court as and when required by the Judge of the Family Court ;
  - (ii) aid and advise the parties regarding settlement of the subject matter of dispute or any other part thereof;
  - (iii) help the parties in reconciliation;
  - (iv) submit report or interim report, as the case may be fixed by the Court ;
  - (v) perform such other functions as may be assigned to him by the family court from time to time.
- (2) In performing his functions under sub-rule (1) the Counsellor shall be guided by such general or special directions as may be given by the Family Court from time to time.

**11. Conditions of service of employees of a Family Court :—**

- (1) The qualifications, procedure for recruitment of a Family Court shall be as of the employees of similar category in the Courts under control of District Judge and the rules relating thereto shall, mutatis mutandis, apply.
- (2) Principal Judge of the concerned Family Court shall be the appointing authority and also head of the office.

**12. Assistance of medical experts, welfare experts :—**

- (1) Where the Family Court decides to secure the services of any expert or other person referred to in Section 12 of the Act, the Court shall indicate the exact point or points on which and the manner in which the service required is to be rendered.
- (2) The expert or other person referred to in sub-rule (1) shall render the service and submit its report within such time as may be indicated in the order of the Family Court or within such extended time as may be given by the Court.
- (3) The Family Court shall permit the parties to file objections against such report.
- (4) The Court shall consider the report in deciding the dispute but shall not be bound by it.

**13. Travelling and other expenses payable to medical and other experts :—** If in the opinion of the Family Court, the assistance of an expert or other person referred to in Section 12 of the Act is necessary, but the party seeking such assistance does not have means to pay his fees and travelling and other expenses, the court may, suo moto or on the application of the party, direct the payment of such fees and expenses, out of the revenue of the State as specified below :—

(1)	(2)
(a) If the expert is Government Servant.	Travelling expenses at the rates as admissible to him in the service of the State Government.
(b) If the expert is not a Government Servant.	Travelling expenses at the rates as admissible to Class-I officer of the State Government plus Rs. 500/- (Rupees five hundred) as fees per day.

**14. Amicus Curiae—**

- (1) The Family Court shall maintain a panel of legal experts including legal practitioners, willing to be appointed as amicus curiae.
- (2) Where it appears to the Family Court that the assistance of a legal expert as amicus curiae is

necessary in the interest of justice, the Court may appoint a legal expert from the said panel.

- (3) The amicus curiae, appointed under sub-rule (2) may be paid by the Family Court out of revenues of the State, fees and expenses at the rates of Rupees Five Hundred per case or proceedings or as fixed by the family court not exceeding Rs. 5000/- (Rupees Five thousand).
- (4) The Family Court may remove the Amicus Curiae at any time, if it deems necessary in the interest of justice.

15. **Termination of appointment of Counsellor :—** The appointment of a Counsellor may be terminated by the State Government at any time before the expiry of his term on the recommendation of the Judge of the Family Court.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.